न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 14/2011 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2011/00012

अनवान

1. श्री जीवा पिता नानजी मीणा, निवासी–श्यामपुरा कलां, तहसील झाड़ोल।

– प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगादेवी पत्नि नाथूलाल भील, निवासी–श्यामपुरा कलां, तहसील झाड़ोल।
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री धनसिंह सिसोदिया, अधिवक्ता प्रार्थी / अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 23-01-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा श्यामपुरा कलां, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर मे स्थित आराजी संख्या 437 रकबा 0.2600हे. दिनांक 24.11.2006 को विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, जबकि उक्त भूमि पर आधिपत्य प्रार्थी का चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर इंच मात्र भी कब्जा नहीं हैं। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 382 से उक्त विवादित भूमि लगी होकर एक चक मे हैं। मौके पर उक्त भूमि का पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है। विपक्षी संख्या 1 के पति ने गुप्त रूप से पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के नाम पर करा दिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई हैं और न ही उक्त भूमि पर कभी काश्त की हैं। आज भी उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त भूमि पर एकमात्र आधिपत्य प्रार्थी व उसके भाईयों का उसके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा हैं। उक्त भूमि के पास ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा का भवन आ गया है, जहां पर बच्चों द्वारा उक्त भूमि को खेलने के कार्य मे लिया जा रहा हैं। उक्त भूमि कंकरीली, पथरीली होकर काश्त योग्य नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 को किये गये उक्त आवंटन से पूर्व न तो उद्घोषणा जारी की गई न नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर पहाड़ो का पानी बहकर आगे नाले मे जाता है। सभी तथ्यों को ध्यान मे रखे बिना उपखण्ड़

अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र मेनारिया अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अधिकारियों ने भूमि का आधिपत्य सुपुर्द करते हुए ही उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया है, आवंटन के पूर्व भी इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का निर्बाध एवं निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 लगभग 25 वर्षो से इस भूमि पर काबिज है। राजस्व विभाग द्वारा विपक्षीया को आवंटन से पूर्व समय समय पर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किये गये थे, जिसका विपक्षीया द्वारा जुर्माना भी जमा कराया गया था। इसके उपरान्त विपक्षीया ने विधि एवं नियमों के अनुसार भूमि का आवंटन कराया है। राजस्व अधिकारियों ने मौतबिरान के समक्ष विपक्षीया को वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया था, तब से विपक्षीया वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य कर रही है। प्रार्थी का कभी भी इस आराजी संख्या 437 रकबा 0.2600हे. भूमि पर आधिपत्य नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 ने शारिरीक श्रम एवं आर्थिक लागत लगाकर उक्त भूमि का विकसित कर कृषि योग्य बनाया था। आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षी संख्या 1 के पुराने कब्जे को देखते हुए एवं उसे जारी नोटिस व विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि का आवंटन कर विधिवत कब्जा सुपुर्द किया। प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 एवं उसके पति से द्वेष रखते है। इसलिये उनके द्वारा गलत प्रयोजन से यह मिथ्या अभिकथन किये है। आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि आवंटन प्रक्रिया मे किसी प्रकार की वैधानिक भूल नहीं की है। इस भूमि के संबंध मे गांव के ही अन्य व्यक्ति श्री जालमचंद पिता वगता अंगारी द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 09/2010 हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने विपक्षी संख्या 1 के पति का कोई हित एवं अधिकार नहीं था एवं विपक्षी संख्या 1 का ही उक्त भूमि पर आधिपत्य है। प्रार्थी को भूमि आवंटन के इतने वर्षो बाद इसे निरस्त कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने भूमि पर आधिपत्य के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया है, इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर विपक्षीया को किये गये आवंटन को यथावत रखा जावें। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण संख्या 09/2010 मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.8.16 की प्रति भी पेश की।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.09.2014 मे स्पष्ट किया है कि मौजा श्यामपुरा कलां की आराजी संख्या 437 रकबा 0.2600हे. वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 गंगादेवी पत्नि नाथुलाल भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हैं। वर्तमान मे उक्त आराजी पड़त होकर नीलगिरी, आम, बांस, पीपल आदि के वृक्ष लगे हुए है, जो

आवंटन के पूर्व संस्था द्वारा लगाये गये है। मोतबिरान के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है। प्रकरण मे मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दोनो पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो जाने संबंधी इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीया के जवाब, पत्रावली मे उपलब्ध आवंटन पत्रावली संख्या 942/2006 की प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गंभीरता से अध्ययन किया।

आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है विपक्षी संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी द्वारा मौजा श्यामपुरा कलां, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 437 रकबा 0.2600हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का बिछीवाड़ा द्वारा जांच करने के उपरान्त उपखण्ड़ अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 942/2006 द्वारा दिनांक 24.11.2006 को आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम मे उपखण्ड अधिकारी झाडोल, तहसीलदार झाड़ोल, सरपंच बिछीवाड़ा एवं सदस्य के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। तहसीलदार की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.09.2014 के साथ सलंग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त विवादित आराजी संख्या 437 रकबा 0.2600हे. भूमि पर वर्तमान मे अपीलान्ट का कब्जा बताया गया है, किन्तु प्रकरण मे अपीलान्ट जीवा पिता नानजी मीणा द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज या जमाबंदी की नकल, धारा 91 के नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नही किये है, जिससे यह साबित हो सके की उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कोई पुराना कब्जा रहा हो। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रकरण मे धारा 91 की रसीदे वर्ष 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 पेश की गई है। उक्त रसीदों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पत्र विपक्षी संख्या 1 को पुराना कब्जा होने से ही उसे उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन किसी भी प्रकार से अवैध नहीं माना जा सकता हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय मे निर्णित प्रकरण संख्या 09/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2016 की प्रति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात के संबंध मे पूर्व मे अन्य व्यक्ति श्री जालमचंद पिता वगता अंगारी द्वारा भी प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्ती पेश किया गया था, जिसमे इस न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन को यथावत रखते हुए प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 05.08.2016 द्वारा खारिज किया जा चुका है। पुनः उक्त आराजी के संबंध अब अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्ती प्रस्तुत किया गया है, जो उचित नहीं है। बहस के दौरान विपक्षी संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी पत्नि नाथूलाल भील के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दोनो पक्षकारों के मध्य समझौतानामा/इकरारनामा की प्रति अनुसार दोनो पक्षकारों के मध्य समझौता होना अवगत कराया है। आवंटन के इतने समय पश्चात किसी निर्धन सद्भावी काश्तकार के उक्त आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड

अधिकारी झाडोल द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्रीमती गंगादेवी पत्नि नाथूलाल भील को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 24.11.2006 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर